न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3885–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण क्रमांक 222/निगरानी/2010–11

.....

स्व0श्री देवकिशन तर्फे वारिसगण

1–श्रीमती सुगनबाई पति स्व0श्री देवकिशन

2–राधेश्याम पिता स्व0श्री देवकिशन

3–सीताराम पिता स्व0श्री देवकिशन

4–गोपाल पिता स्व0श्री देवकिशन

सभी निवासीगण 48/1 छत्रीबाग इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला इंदौर

..... अनावेदक

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री हेमन्त मूंगी, पेनल अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार इंदौर के द्वारा प्रकरण कमांक 57/अ-6/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 22-9-1986 के द्वारा सर्वे कमांक 889 क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर की भूमि पर स्व0देवकिशन के वारिसान का नामान्तरण स्वीकृत किया गया था एवं उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध 25 वर्ष बाद एक शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जिला इंदौर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक 06/स्वमेव निगरानी/2008-09 दर्ज किया जाकर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित आदेश दिनांक 16-5-2011 के द्वारा आवेदकगण के पक्ष में हुआ नामान्तरण आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-5-11 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30-9-2014 को आदेश पारित निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैधानिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1925-26 के मिसल बंदोबस्त में मंदिर के नाम कभी भी अंकित नहीं रही है और ना ही प्रश्नाधीन भूमियों का मंदिरों से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रहा है । इस कारण प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की निजी भूमि होने के आधार पर उसका विधिवत् नामान्तरण तहसीलदार द्वारा किया गया है, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूल की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष शासन की ओर से ऐसा कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर उक्त भूमियां शासन संधारित के स्वामित्व की हो, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के संबंध में आवेदकगण के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश को स्वमेव पुनरीक्षण में लिये जाने का किंचित मात्र भी अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को न होते हुये भी उनके द्वारा आवेदकगण के पक्ष में

पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 22–9–1986 को 25 वर्ष की कालावधि के उपरांत कार्यवाही में लिया जाकर निरस्त करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की गई है

(3) अधीनस्थ न्यायालयों ने स्वमेव पुनरीक्षण के संबंध में संहिता में दिये गये प्रावधानों पर बिना कोई विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है, जबकि संहिता में स्वमेव निगरानी की कालावधि अधिकतम 180 दिवस है, जबक कलेक्टर द्वारा 23 वर्ष स्वमेव निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो शून्यवत् होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगणों के स्वामित्व की होना पूर्व में पारित निर्णयों के आधार पर प्रमाणित होने के बावजूद एवं आवेदकगण के वडिल स्व0देवकिशन एवं नगर निगम के मध्य वर्ष 1969 में चल प्रकरण में उक्त भूमियॉ स्व0देवकिशन के स्वामित्व की होना मानने एवं तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उस संबंध में आदेश भी जारी करने के उपरांत भी उक्त दस्तावेजों की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किये गये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण के पक्ष में हुये नामान्तरण आदेश में हितबद्ध पक्षकारों को बिना सूचना दिये नामान्तरण किये जाने का जो उल्लेख किया गया है वह अभिलेख के विपरीत होने से मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि आवेदकगण के अलावा कोई हितबद्ध पक्षकार थे ही नहीं ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् एवं उचित आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न वर्ष 1979–80 के खसरा पांचशाला में प्रश्नाधीन भूमि देवस्थान सरकारी, व्यवस्थापक प्रबंधक कलेक्टर के नाम दर्ज है । स्पष्टतः प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की होकर शासकीय भूमि है, जिस पर बिना किसी आधार के नायब तहसीलदार इंदौर द्वारा प्रकरण कमांक

57/अ-6/1985-86 में दिनांक 22-9-1986 को आदेश पारित किया जाकर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही होकर क्षेत्राधिकार रहित है । अतः कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के उपरोक्त आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 16-5-2011 को आदेश पारित करते हुये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है जो कि पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी उचित कार्यवाही की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की नहीं होकर उनकी निजी भूमि है, क्योंकि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके निजी स्वामित्व की भूमि है । उनका यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि कलेक्टर द्वारा 25 वर्ष पश्चात् अत्यधिक विलम्ब से स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, क्योंकि जो आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित हो, ऐसे आदेश के संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-9-14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर